

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3527 / 2023

दिनांक 29.11.2023

श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां को दिनांक 16.10.2023 से 20.10.2023 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 14.10.2023 से 15.10.2023 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री सिंह की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां के पद पर ही की गई।


आज्ञा से  
  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)  
28.11.2023

कमांक:—स्था.बी.2(4)/46/2013/7665

दिनांक 29.11.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बारां को उनके पत्रांक 1617/3659 दिनांक 21.10.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्री युवराज सिंह (RJ00763), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, बारां।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां।

  
सहायक मजिस्ट्रार  
29/11/23